टीकाकरण अभियान/महत्वपूर्ण

संख्या-71/2015/2780/सैंतीस-2-2015-30(95)/2015

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश, शासन।

सेवा में,

1. समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

2. **समस्त जिलाधिकारी**,
उत्तर प्रदेश।

पशुधन अनुभाग-2 लखनऊ :: दिनांक-21 सितम्बर, 2015

विषयः- खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ0एम0डी0-सी0पी0) हेतु दिनांक 15.09.2015 से वृहद टीकाकरण अभियान चलाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

प्रदेश के सभी जनपदों में खुरपका मुँहपका रोग नियंत्रण (एफ0एम0डी0-सी0पी0) कार्यक्रम के अन्तर्गत पशुओं में शत-प्रतिशत एफ0एम0डी0 का टीकाकरण कराने के उद्देश्य से दिनांक 15.09.2015 से 30.10.2015 तक एक विशेष अभियान चलाया जाना है।

2- यह रोग पशुओं का विषाणुजनित संक्रामक रोग है, जो कि हवा, पानी द्वारा सीधे रोगी पशु के सम्पर्क से स्वस्थ पशुओं में फैलता है। इससे पशुओं की उत्पादन क्षमता प्रभावित होती है, व अधिक संक्रमण से उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसको सफल बनाने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मानव संसाधन एवं ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार की आवश्यकता है।

3- इस अभियान में टीकाकरण टीम में पशु चिकित्साधिकारी, पशुधन प्रसार अधिकारी एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के साथ-साथ पी0सी0डी0एफ0, बैफ के कर्मी एवं पैरावेट्स को सम्मिलित करना होगा। पशु चिकित्सक के नेतृत्व में गठित प्रत्येक टीम में 04 सदस्य होंगे, जो एक गांव के सभी पशुओं का टीकाकरण करने के बाद दूसरे गांव में जायेंगे। टीकाकरण कार्य को सम्पन्न करने के लिए एक रोस्टर बनाया जायेगा। जिसे आम लोगों के सूचनार्थ संबंधित पशु चिकित्सालयों पर प्रदर्शित किया जायेगा। अन्य प्रचार माध्यमों से भी इसका प्रचार-प्रसार किया जाना है।

इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उक्त महत्वपूर्ण एवं व्यापक अभियान में आपका सक्रिय सहयोग, कुशल मार्गदर्शन एवं नेतृत्व अत्यन्त आवश्यक है। कृपया अपने मण्डल/जनपद के मुख्य पशु चिकित्साधिकारी के साथ प्रस्तावित अभियान की तैयारियों की समीक्षा कर इसे गति प्रदान करने में अपना विशिष्ट सहयोग प्रदान करें। इस अभियान में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों की ड्यूटी इस अवधि में अन्य किसी कार्य में यथा- पंचायत चुनाव में न लगायी जाय। इस बीच आप जब क्षेत्र भ्रमण पर जायें तो टीकाकरण टीम के द्वारा मौके पर किये जा रहे कार्यों का सत्यापन एवं उनका प्रोत्साहन अवश्य करें। मुख्य विकास अधिकारी एवं अन्य जिला स्तरीय अधिकारियों को भी इस कार्य के लिए निर्देशित किया जाए।

भवदीय,

(**आलोक रंजन**)
मुख्य सचिव।

संख्या-71/2015/2780(1)/सैंतीस-2-2015-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. निदेशक, पशुपालन विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
2. समस्त अपर निदेशक ग्रेड-2, (संबंधित मण्डल) पशुपालन विभाग, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, उत्तर प्रदेश।
4. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(**रजनीश गुप्ता**)
प्रमुख सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in